

कार्यालय: महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन, सिरसा विज्ञप्ति

शिक्षुक अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निम्नलिखित शिक्षुओं का चयन किया जाना है। चयनित शिक्षुओं को प्रशिक्षण अर्वाधि एवं प्रशिक्षण भत्ता शिक्षुक अधिनियम 1961 के अनुसार देय होगा। शिक्षुओं का विवरण ट्रेडवार्डज निम्न प्रकार से है :-

Sr. No.	Name of Mechanic	Total No. of Vacancies
1	MMV	05
2	Welder	01
3	Diesel Mechanic	06
4	Carpender	01
5	Turner	01

इच्छुक उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन व आवेदन ऑनलाईन वेबसाईट (www.apprenticeshipindia.gov.in) पर दिनांक 06.11.2024 से 12.11.2024 सांय 05:00 बजे तक अप्लाई कर सकते है। आवेदन के समय उम्मीदवार अपना फोटो, आधार नं०, आई०डी० (पैन कार्ड), रिहायशी प्रमाण-पत्र, मैट्रिक प्रमाण पत्र व आई०टी०आई० विभाग द्वारा जारी आई०टी०आई० पास का मूल प्रमाण पत्र सभी सैमेस्टर (with marks) की अपलोड करे। अगर ऑनलाईन आवेदन में किसी भी प्रार्थी की माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि व नियुक्ति के दौरान उसके दरतावेजों में निरीक्षण उपरांत कोई भी त्रुटी पाई जाती है, तो उसका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। फाईनल लिस्ट जारी होने उपरांत यदि आवेदक एक सप्ताह के अन्दर-2 अपनी उपस्थिति कार्यालय में नहीं देता है, तो उसकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। सफल प्रशिक्षुओं का चयन आई०टी०आई० में अर्जित अंको की मैरिट के आधार पर ही किया जाएगा तथा ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड किए गए फार्मों को ही इस कार्यालय द्वारा डाउनलोड किया जाएगा। जिस उम्मीदवार द्वारा दिनांक 06.11.2024 से पहले व दिनांक 12.11.2024 सांय 05:00 बजे के बाद ऑनलाईन अप्लाई किया जाएगा तो उसका आवेदन स्वीकार नहीं होगा तथा उम्मीदवार यह भी सुनिश्चित कर लें कि उस द्वारा पूर्व में संबन्धित (ट्रेड) में शिक्षुता ग्रहण नहीं की हो।

— हस्ता०—

महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन, सिरसा।